



2026:AHC:18087

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 42621/2025

राहुल अहिरवार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संजीव कुमार खरे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-विपक्षी की ओर से विद्वान एजीए श्री अंजय कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक राहुल अहिरवार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 181/2025, धारा 109(1), 85, 352 भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना श्रीनगर, जिला महोबा में पंजीकृत प्रकरण में जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मुकदमा अपराध संख्या में झूठा फँसाया गया है और वह दिनांक 11.09.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर अवमुक्त होने की स्थिति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में उसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों के अनुसार आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक पर आरोप है कि उसने वादी की पुत्री पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि पीड़िता के आवाज रिकॉर्डिंग बयान के अनुसार, यह एक आकस्मिक घटना है और इस संबंध में एफ.आई.आर. कथित घटना के डेढ़ महीने बाद दर्ज कराई गई है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत का प्रबल विरोध किया, किन्तु इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत हेतु यह एक उपयुक्त मामला प्रतीत होता है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

8. **अभियुक्त-आवेदक राहुल अहिरवार को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए-**

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसे संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायामूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

22 जनवरी, 2026

विभा सिंह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।